न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 30/2015

पंजीयन दिनांकः 10.07.2015

1. राजमल पिता हीरालाल जाति मोची निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल पिता ऊंकार जाति मोची निवासी बडीसादडी –मृतक के बजाय
   1. गोपाल पिता रामचन्द्र जाति मोची निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   2. ताराचन्द पिता रामचन्द्र जाति मोची निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   3. श्रीमती कंचन बाई बेवा रामचन्द्र जाति मोची निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   4. श्रीमती मुन्नी पुत्री रामचन्द्र पत्नि गणपतलाल जाति मोची निवासी पुलिस लाईन चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. उप–पंजीयक एवं तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 78/2010 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.07.15

उपस्थित वक्त बहस– 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा – रेस्पोडेन्टगण–1/1 से 1/4
3. श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांक 01.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व मौजा खरदेवला तहसील बडीसादडी के आराजी नम्बर 1258/15 रकबा 1 बीघा कृषि भूमि पारिवारिक विभाजन के अन्तर्गत प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे आई जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी ने काफी लागत लगाकर कृषि योग्य बनाकर काबिल काश्त बनाकर फसल बोई जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट का 8 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे यह भूमि प्रार्थी अपीलान्ट के नाम खातेदारी मे घोषित करने व अपीलान्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलदांजी नही करने हेतु रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसको वाद सुनवाई अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रमाणित नही मानते हुए निरस्त कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट प्रार्थी को पारिवारिक विभाजन के अन्तर्गत बंटवाडे मे प्राप्त हुई है। जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी का विगत 8 वर्षो से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर लागत लगाकर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाई है। प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण की जानकारी मे लगातार चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने इस सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नही की है। हीरालाल को यह भूमि भगवती बाई को विक्रय करने का अधिकार नही होते विक्रय की है। विक्रय पत्र अपीलान्ट प्रार्थी के हितो के विपरीत होने से प्रभावहीन व शून्य है। प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त भूमि पर जायज रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी का प्रथमा दृष्टया प्रकरण प्रमाणित था। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष मे था। एवं प्रार्थी अपीलान्ट को कृषि भूमि से बेदखल किये जाने पर प्रार्थी अपीलान्ट को भारी हानि व असुविधा होने वाली थी। जिससे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने गलत वादपत्र व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात नही होकर हीरालाल के आवंटन शुदा रही है। जो नामान्तकरण सं. 1195 दिनांक 12.07.2002 से आंवटन रेस्पोडेन्ट सं. 1 हीरालाल के गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। तत्पश्चात् नामान्तकरण सं. 1361 दिनांक 03.08.2009 से उक्त आराजीयात गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज की गई है। व खातेदारी मे दर्ज होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट हीरालाल ने उक्त आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 04.10.2010 से भगवतीबाई मेघवाल को पंजीकृत बहनामे से विक्रय की गई है व उसके पश्चात् अपीलान्ट ने दिनांक 11.10.2010 को वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उससे पूर्व ही उक्त आराजीयात पंजीकृत बहनामे से भगवतीबाई मेघवाल को विक्रय हो चुकी थी। भगवतीबाई को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट चलने योग्य नही था। व विवादित कृषि आराजीयात हीरालाल की स्वअर्जित होने से अपीलान्ट प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रहता है। यह तथ्य रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किये व दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सभी बिन्दुओ का विश्लेषण करते हुए अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। बहस मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016-17 सप्लिमेन्ट्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

पेज 637, आरआरटी 2013 पार्ट-2 पेज 828 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना मानते हुए अपील निरस्त किये जाने का जिवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी ने पारिवारिक विभाजन होना मानते हुए वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त इकरार नामा दिनांक 30.11.2010 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त अपंजीकृत इकरारनामा प्रार्थी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3 के मध्य होना बताया है जिस पर रेस्पोडेन्ट गोपाल,ताराचन्द, कंचन व प्रार्थी अपीलान्ट के हस्ताक्षर ही है। हीरालाल के वारिस मुन्नीबाई के हस्ताक्षर नही है। वह उक्त इकरारनामा दिनांक 25.11.2010 को हीरालाल की मृत्यु पश्चात् हुआ है। व उक्त इकरारनामे को रेस्पोडेन्ट्गण ने जवाब प्रार्थना पत्र मे भी अस्वीकार किया है वह विवादित कृषि आराजीयात इकरारनामे के पूर्व ही खातेदार स्वर्गीय हीरालाल अपने आंवटन शुदा स्वअर्जित आराजी नम्बर 1258/15 रकबा 1 बीघा भगवतीबाई मेघवाल को विक्रय कर चुका था। इकरारनामे मे उभयपक्ष ने आराजी नम्बर 1258/15 हीरालाल के खातेदारी की होने से हीरालाल ने दिनांक 04.10.2010 को जरिये पंजीकृत बहनामा भगवतीबाई को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त आराजी हीरालाल की आंवटन शुदा होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसका हीरालाल ने खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात् विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। हीरालाल की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 30.11.2010 को प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के मध्य इकरारनामा निष्पादित हुआ जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1/4 के कही हस्ताक्षर नही है। व उक्त इकरानामे मे भी प्रार्थी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3 ने यह तथ्य अंकित किये कि उक्त आराजीयात कमला पत्नि रमेश मेघवाल को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया है। जबकि पत्रावली मे कमला को विक्रय करने के सम्बन्ध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे वादग्रस्त आराजी हीरालाल की आंवटन शुदा बताई गई है। व हीरालाल ने उक्त आराजी दिनांक 04.10.2010 को भगवतीबाई मेघवाल को विक्रय कर देना अंकित किया। जिसके बहनामे की फोटो प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई। पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2058-2061 मे उक्त आराजी राजकीय बिलानाम भूमि रही है जो आंवटन से हीरालाल के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। उसके पश्चात् उसके खातेदारी मे दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपीलान्ट का यह कथन कि उक्त भूमि पारिवारिक बंटवाडा होकर पारिवारिक बंटवाडे से अपीलान्ट प्रार्थी को प्राप्त हुई है। अपीलान्ट प्रार्थी का कथन गलत होकर स्वीकार योग्य नही है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अपील के विचाराधीन रहते हुए भी ऐसे कोई दस्तावेज अपील मे प्रस्तुत नही हुए जिससे कि विवादित कृषि आराजीयात पारिवारिक बंटवाडे से अपीलान्ट के कब्जे मे होना प्रमाणित हो। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 78/2010 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)